प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के आर0 एण्ड एम0 एवं अपरेटिंग योजना की आई0डी0सी0 में हुई वृद्धि के फलस्वरूप, इकाई संख्या-7 के आर0 एण्ड एम0 योजना की पुनरीक्षत लागत हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-24/उ0नि0लि0/नि0(वित्त)/, दिनांक 21 जनवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के आर0 एण्ड एम0 एवं अपरेटिंग योजना की आई0डी0सी0 में हुई वृद्धि के फलस्वरूप, इकाई संख्या-7 के आर0 एण्ड एम0 योजना की पुनरीक्षत लागत हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 16,79,40,000/- (रूपये सोलह करोड़ उन्यासी लाख चालीस हजार मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह फरवरी, 2022 में धनराशि रुपये 8,79,40,000/- (रूपये आठ करोड़ उन्यासी लाख चालिस हजार मात्र) एवं माह मार्च, 2022 में धनराशि रुपये 8,00,00,000/- (रूपये आठ करोड़ मात्र) की दो किश्तों में किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

5- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या- 437/6/1/ECI/INST/MCC/2022, दिनांक 08-01-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन , 2022 की घोषणा के उपरान्त आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। निदेशक वित्त, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उसके पूर्ण अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उललंघन न हो।

6- उपर्युक्त धनराशि का आहरण के बाउचर संख्या तथा तिथि की सूचना मिलान कार्य हेतु तत्काल शासन को तथा निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/ लखनऊ एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या- 42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा बिल को प्रतिहस्ताक्षार हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। देयक के साथ परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा परियोजना हेतु वित्तीय संस्थाओं से आहरण के ऋण की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://finsanadesh.up.nic.in

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

9- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

10- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड-1412-हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई संख्या-7 के आर एण्ड एम एवं आपरेटिंग की योजना हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण " के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3447-दस-2021-22, दिनांक 03 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-28 /2022/105(1)/24-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- संबंधित सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in